पत्रांक 1769 दिनांक 23/4/15

अनुसूचित 12–प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति –अवभार प्रमाणपत्र

प्रमाण–पत्र सं० 1015 आवेदन सं०

चूँकि श्री Om Realty Dhanbad ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवमाने का सविवरण: मान–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 सं० और उसे संबंध अनुकमणियों में ता० 2013 to till date से ता० तक तलाशी की गई और ऐपी तलाशी बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :– Nil

कम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन का तारिख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पदों के नाम		दस्तावेज को प्रविष्ट के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ट
Mauza Sabalpur Mouza No-126 New Khata No- 67 Old Khata No-17 New Plot No 678, 679, 680 & 661 Old Plot No- 529, 578, 579, 580, & 581 Area 51 Dec								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र के साथ दशा में ब्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि उनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दिशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त सव्यवहार और अवभागों को छोड़, उक्त समप्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाणित तैयार किया:–

(हस्ताक्षर) HC

(पदनाम)

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) HC

DSR Dhanbad

कार्यालय 22/04/25

मुहर

मुहर जिला अवर निबंधक सत्यमेव जयते धनबाद

तारीख

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

22/04/25

टिपण्णी:–(1) इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न कियें जायेगें।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 56 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुकमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हों, अथवा उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरुरत हो उन्हें तलाशी स्वयं का ना होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुकणयों उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूकिं वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलासी अपने मसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदवार नहीं होगा।

(ख) और चूकिं वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूकिं उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिमेवार न होगा जिससे उक्त संम्पित पर प्रभाव पड़ता हो

Search made by me.

S. K. Mukherjee.